



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126843

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 19528/2026

फ़ईम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आवेश मिश्रा, परितोष शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को भी देखा गया।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक फरीद की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 200/2026, गो-हत्या अधिनियम की धारा 3/5/8, थाना- चांदपुर, ज़िला- बिजनौर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे ज़मानत पर रिहा करने की गुज़ारिश की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफ.आई.आर. अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और बाद में, पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ में आवेदक को पकड़ा और उसके कबूलनामे के आधार पर उसे इस मामले में फंसाया गया। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है। इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी वसीम को इस कोर्ट की एक बेंच ने पहले ही ज़मानत दे दी है; यह आदेश आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी सांख्य 18787/2026 में 05.06.2026 को पारित किया गया था। यह भी बताया गया है कि आवेदक के खिलाफ 5 मामलों का आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



इतिहास है, जिसके बारे में ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में दाखिल हलफनामे के पैरा 16 में बताया गया है। सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। आवेदक को किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। आवेदक 17.04.2026 से जेल में बंद है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

4. इसके उलट, विद्वान ए.जी.ए ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई से पहले आवेदक के बेगुनाह होने का फैसला नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। उन्होंने ज़मानत का कड़ा विरोध किया और कहा कि गो-हत्या से समाज के अलग-अलग समूहों के बीच कड़वाहट पैदा होती है। इससे दंगे जैसे हालात भी बने हैं, जो राज्य के सामने कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी करते हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि इन्हीं वजहों से, राज्य को ऐसे कुछ आरोपियों के खिलाफ 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' लागू करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इन्हीं वजहों से राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश गो-हत्या रोकथाम अधिनियम, 1955', 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960', 'उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम, 1964' और 'उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999' बनाए हैं।

5. रिकॉर्ड पर लाए गए मटीरियल/सबूत, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, साथ ही 'दताराम सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य' (केस नंबर (2018) 3 एससीसी 22) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और 'सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI' (केस नंबर एस.एल.पी (आपराधिक) संख्या 5191/2021) मामले में 11.07.2022 को आए सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के व्यापक आदेश को ध्यान में रखते हुए।

6. आवेदक- फ़ईम, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार देने होंगे, और उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा जो

(i) सुनवाई की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई हैं।

(iv) आवेदक को यह वचन-पत्र देना होगा कि जब विचारण न्यायालय में गवाह मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने वकील के ज़रिए मौजूद रहना होगा।

7. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द की जा सकती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्ज़ी पर फ़ैसला करने के मक़सद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

11 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।